

सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-08.02.2025 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में भू-अर्जन से संबंधित चल रही विभिन्न केन्द्रीय/राजकीय परियोजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति:- यथा उपस्थिति पंजी।

सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-08.02.2025 को हुई बैठक में भू-अर्जन की चल रही NH/NHA के महत्वपूर्ण योजना की समीक्षा की गयी। महाप्रबंधक तकनीकी, NHA के द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं/परियोजनाओं का जिक्र किया गया, जो निम्नवत् है:-

(क) भारत माला परियोजना (वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे)- इस परियोजना हेतु औरंगाबाद/गया/कैमूर/एवं रोहतास जिला में भूमि अर्जन की कार्यवाई प्रस्तावित है। इस परियोजना की समीक्षा उच्च स्तर पर भी सतत रूप से की जा रही है।

- औरंगाबाद जिला में परियोजना के अंतर्गत 31.19 करोड़ राशि का मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। कुछ रैयतों द्वारा आरबिट्रेशन वाद दायर किये जाने के कारण संबंधित मौजों में भुगतान हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं। कैम्प आयोजित की जाय।
- गया जिला में इस परियोजना के तहत मौजा-बरडीह में अर्जनाधीन भूमि का किस्म जंगल रहने के कारण 3जी प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है। 28 मौजों का दखल-कब्जा अधियाची विभाग को सौंप दिया गया है। आपसी विवाद एवं भूमि किस्म को लेकर भुगतान की गति अत्यंत धीमी है। समन्वय करते हुए भुगतान की गति बढ़ाने का निदेश दिया गया।
- कैमूर जिला में इस परियोजना के तहत 73 मौजों में से 65 मौजों का अवार्ड तैयार किया गया है जिनमें से करीब 57 मौजों में रैयतों को मुआवजा भुगतान हेतु नोटिस कर दिया गया है परंतु भूमि किस्म को लेकर भी रैयतों द्वारा मुआवजा प्राप्ति हेतु आवेदन नहीं किया जा रहा है। 1 मौजा ठकुरहट में राजस्व कार्य चक्र से तथा दखल-कब्जा सर्वे से है, जिस कारण भू-अर्जन की कार्यवाई लंबित है। आवेदकों द्वारा मुआवजा भुगतान हेतु वांछित दस्तावेज जमा नहीं कराने के कारण भी मुआवजा भुगतान की कार्यवाई लंबित है। समन्वय करते हुए परियोजना कार्य को गति देने का निदेश दिया गया।

(ख) भारत माला परियोजना (वाराणसी-रांची-कोलकाता) -इस परियोजना हेतु रोहतास जिला में फेज-2 के अंतर्गत (एन.एच.-319बी) भूमि अर्जन/मुआवजा भुगतान आदि की कार्यवाई की जा रही है।

- रोहतास जिला में इस परियोजना के अंतर्गत (पैकेज -3- वाराणसी) में लगभग 04 करोड़ राशि का मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। परियोजना कार्य में कोई विशेष समस्या नहीं है। मुआवजा भुगतान की गति बढ़ाने हेतु नोटिस करते हुए अधिक से अधिक कैम्प लगाने का निदेश दिया गया।
- रोहतास जिला में इस परियोजना के अंतर्गत (पैकेज-4-औरंगाबाद) में लगभग 85 लाख राशि का मुआवजा भुगतान किया गया है। बेलवई मौजा का 3ए भूमि राशि पोर्टल पर अपलोड कर अधियाची विभाग को भेज दिया गया है। अधियाची विभाग द्वारा 3ए की कार्यवाई के पश्चात परियोजना कार्य आरंभ कर दिया जाएगा।
- रोहतास जिला में इस परियोजना के अंतर्गत (पैकेज-5-औरंगाबाद) में दो मौजों का पंचाट तैयार कर स्वीकृति हेतु अधियाची विभाग को भेज दिया गया है एवं 05 मौजों का 3ए हेतु भूमि राशि पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। अधियाची विभाग द्वारा इस सप्ताह पंचाट को स्वीकृत करने का आश्वासन दिया गया है। स्वीकृति

(ग) एन0एच0-139W (मानिकपुर-साहेबगंज खण्ड) सड़क निर्माण -इस परियोजना हेतु मुजफ्फरपुर जिला (एन.एच.-139W) में भूमि अर्जन/मुआवजा भुगतान आदि की जा रही है।

- मुजफ्फरपुर जिला में इस परियोजना के अंतर्गत कुल 36 मौजों में से 19 मौजा में अर्जित भूमि का दखल-कब्जा अधियाची विभाग को सौंप दिया गया है। कुल प्राप्त राशि 403.38 करोड़ में से 237 करोड़ राशि का मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। 20 करोड़ मुआवजा राशि सिविल कोर्ट में संदर्भित किया गया है। नोटिस करते हुए मुआवजा भुगतान की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। आपसी विवाद के कारण मुआवजा भुगतान की गति धीमी है।

(घ) NHA-139W km 0.00 Areraj (East champaran) to km 41.882 Bettiah(west champaran) -इस परियोजना हेतु पश्चिमी चम्पारण जिला (एन.एच.ए.आई.-139W) में भूमि अर्जन/मुआवजा भुगतान आदि की कार्रवाई की जा रही है।

- पश्चिमी चम्पारण जिला में इस परियोजना हेतु दिनांक-28.11.2024 के द्वारा 3डी की अधियाचना की मांग अधियाची विभाग को भेज दी गई है, जो अप्राप्त है। अधियाची विभाग द्वारा 10 कार्य दिवस में 3डी की अधियाचना जिला भू-अर्जन कार्यालय, प0चम्पारण को भेज दी जाएगी।

(ङ) एन0एच0- 131जी शेरपुर दिघवारा रिंग रोड -इस परियोजना हेतु सारण जिला में भूमि अर्जन/मुआवजा भुगतान आदि की कार्रवाई की जा रही है।

- सारण जिला में इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 6.85 करोड़ राशि का मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। मुआवजा भुगतान की कार्रवाई में तेजी लाने का निदेश दिया गया। कुल-03 ग्राम में मौजा- मानपुर की भूमि टोपो भूमि है। आयुक्त सारण प्रमण्डल -सह- आरबिट्रेटर द्वारा पारित आदेश के आलोक में संशोधित दर पर 3जी प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

(च) एन0एच0- 131जी शेरपुर दिघवारा रिंग रोड -इस परियोजना हेतु सारण जिला में भूमि अर्जन/मुआवजा भुगतान आदि की कार्रवाई की जा रही है।

- पटना जिला में इस परियोजना अंतर्गत लगभग 125.07 करोड़ राशि का मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। समन्वय करते हुए मुआवजा भुगतान की कार्रवाई में तेजी लाने का निदेश दिया गया। 07 राजस्व ग्रामों में से 03 राजस्व ग्रामों का अधियाचना विलम्ब से प्राप्त होने के कारण परियोजना कार्य की गति धीमी है।

(छ) भू-अर्जन अधिनियम,2013 के तहत जल संसाधन विभाग से महानंदा नदी पर तटबंध निर्माण हेतु किशनगंज/कटिहार/एवं अररिया जिला में भू-अर्जन की कार्रवाई की जा रही है।

- कटिहार जिला में एजेंटा सं0-144/273 अंतर्गत कांटाकोश से चौकिया पहाड़पुर तक तटबंध निर्माण परियोजना के अंतर्गत लगभग 38.43 लाख राशि का मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, कटिहार द्वारा प्रतिवेदित है कि मौजा- किशनपुर एवं चौकिया पहाड़पुर में अर्जनाधीन भूमि गंगा नदी के कटाव में कट गया है। विभाग द्वारा स्थल जाँच कराया जाना प्रक्रियाधीन है।

- अररिया जिला में महानंदा बेसिन/सब बेसिन (फेज-2) के तहत रतवा नदी पर तटबंध निर्माण परियोजना के अंतर्गत लगभग 8.25 करोड़ राशि का मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। इस परियोजना के तहत पलासी अंचल के काशीबाड़ी-92, खुट्टी-93 मौजा के हितबद्ध रैयतों द्वारा एलाईमेंट में बदलाव को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिससे मुआवजा भुगतान की कार्रवाई में समस्याएं आ रही हैं।
- किशनगंज जिला में महानंदा बेसिन/सबबेसिन अंतर्गत (फेज-2 रतवा नदी पर दायों/बायों तटबंध निर्माण, कुट्टी घाट से बागडोब महानंदा बाँया तटबंध निर्माण एवं कुट्टी घाट से झौआ महानंदा दायों तटबंध) निर्माण परियोजना के तहत क्रमशः 1.50 करोड़, 0.81 करोड़ एवं 0.97 करोड़ मुआवजा राशि का भुगतान हितबद्ध रैयतों को किया जा चुका है। परियोजना कार्य में कोई मुख्य समस्या नहीं है। समन्वय करते हुए मुआवजा भुगतान की कार्रवाई में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

(ज) भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के तहत जल संसाधन विभाग से बागमती बायों तटबंध निर्माण हेतु दरभंगा जिला में भू-अर्जन की कार्रवाई की जा रही है।

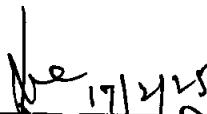
- दरभंगा जिला में बागमती बायों तटबंध निर्माण परियोजना के कुल तीन मौजों में से दो मौजा का राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त है एवं एक मौजा का राजस्व रिकॉर्ड/खतियान अंचल कार्यालय से प्राप्त होते ही परियोजना कार्य आरंभ कर दी जाएगी। अंचल कार्यालय से समन्वय करते हुए परियोजना कार्य को गति देने का निदेश दिया गया।

भू-अर्जन की दैनिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा निम्नवत् है:-

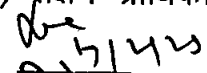
1. **स्कैनिंग:-** सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी स्वयं के user login से QC-2 कार्य की समीक्षा करेंगे तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र विभाग को सौंपेंगे। 25 मार्च, 2025 तक जिला भू-अर्जन कार्यालय के स्कैनिंग कार्य पूर्ण कर लिये जायें।
2. **CAG:-** CAG की कंडिकाओं में उठाये गये आपत्ति पर बिन्दुवार एवं स्पष्ट उत्तर सामग्री सभी साक्ष्यों के साथ एक माह के अंदर विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
3. **ACP/MACP:-** जिन कर्मियों को ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 दिया जा चुका है, उन कर्मियों को बकाया अंतर वेतन राशि की गणना करके भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में की जाय। कर्मियों की सेवापुस्त के अनुसार सेवा में टूट आदि के कारण ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 प्रभावित है। उनकी सेवा संबंधी विसंगति का निराकरण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय, ताकि शेष कर्मियों के ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति पर निर्णय लिया जा सके।
4. **CCMS:-** सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को स्पष्ट निदेश दिया गया कि CCMS पोर्टल पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबितवादों में शीघ्र प्रतिशपथ पत्र दायर करना एवं पोर्टल पर अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगे।
5. **SIA:-** एस0आई0ए0 हेतु नामित संस्थान से प्राप्त ड्राफ्ट रिपोर्ट पर जिला भू-अर्जन कार्यालय द्वारा यथाशीघ्र जनसुनवाई करायी जाय एवं एस0आई0ए0 एजेन्सी से फाईनल रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर पत्राचार किया जाय। जनसुनवाई के दौरान भू-अर्जन कार्यालय से एक पदाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय।

6. **विधान सभा सत्र:-** सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी आगामी बिहार विधान मंडल सत्र दिनांक- 28.02.2025 से निर्धारित है। उक्त में उठाए जाने वाले प्रश्नों का उत्तर बिन्दुवार एवं स्पष्ट रूप से जिला पदाधिकारी स्तर से निदेशालय को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, बिहार विधान मंडल में लंबित याचिका/आश्वासन/अभ्यावेदन/निवेदन आदि में निहित तथ्यों के आलोक में कार्यान्वयन प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी स्तर से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
7. **सरकारी भूमि का दाखिल-खारिज:-** भू-अर्जन की विभिन्न परियोजनाओं के लिए पूर्व में अधिग्रहित भूमि का दाखिल-खारिज शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जाय तथा इसमें आ रही तकनीकी दिक्कतों के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय, ताकि तकनीकी समस्याओं को दूर किया जा सके। भू-अर्जन की विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिसूचना से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए खतियान के स्थान पर जमाबंदी पंजी को महत्व देने एवं अधिग्रहित भूमि के किस्म के निरीक्षण के दौरान उसका सत्यापन खतियान के आधार पर किये जाने एवं अधिग्रहित भूमि का सीमांकन के समय ड्रोन स्टील फोटोग्राफी अधियाची विभाग द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय। अधियाची निकाय के ऊपर परियोजना संबंधित जो भी कार्य-भार है, उसे अधियाची विभाग द्वारा ही किया जाना सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रपत्र में खतियान/जमाबंदी का उल्लेख किये जाने हेतु नियमावली में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव दी जाय। (अनुपालन- भू-अर्जन निदेशालय)
8. **आकस्मिकता निधि:-** सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आकस्मिकता निधि एवं व्यय को निदेशालय स्तर पर केंद्रीकृत करने का निदेश दिया गया। इस हेतु आंतरिक वित्तीय सलाहकार के साथ बैठक में दिये गये प्रस्ताव को समाहित किया जाय। जिन जिला भू-अर्जन कार्यालयों में कार्यबल यथा- अकाउन्टेन्ट/अमीन/ऑपरेटर/एम0टी0एस0 इत्यादि कर्मियों की आवश्यकता हो तो इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि समेकित निर्णय लिया जा सके। (अनुपालन- भू-अर्जन निदेशालय)
9. **अंकेंक्षक ऐजेंसी:-** निदेशालय द्वारा Private Auditor की मदद से जिला भू-अर्जन कार्यालय के बैंक खाता एवं कैश-बुक की स्थिति की जानकारी हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।
सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि प्राथमिकता निर्धारित कर हर स्तर पर लंबित मामलों का निष्पादन करते हुए भू-अर्जन कार्य पूर्ण किया जाय। मुआवजा भुगतान हेतु ज्यादा से ज्यादा शिविर आयोजित किये जाये, जिसमें DLAO/ADLAO स्वयं भी उपस्थित रहें तथा इसकी सूचना निदेशालय को भी दिया जाय।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।


 (कमलेश कुमार सिंह),
 निदेशक,
 भू-अर्जन, बिहार।

ज्ञापांक:-14/डी0एल0ए0/मासिक समीक्षात्मक बैठक-01/2024-305/दिनांक-17.02.25
 प्रतिलिपि :- सभी समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/सक्षम प्राधिकार भूमि अर्जन (CALA), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

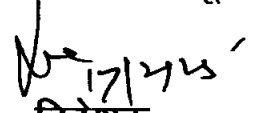

 निदेशक,
 भू-अर्जन, बिहार।

ज्ञापांक:-...../

दिनांक:-.....

प्रतिलिपि :- अधिशाषी अभियंता, सीमांत मुख्यालय, सशस्त्र सीमा बल, तृतीय तल, कर्पूरी ठाकुर सदन, आशियाना-दीघा रोड, पटना-80025 को (E-mail:-ssbengineeringpatna@gmail.com) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर (E-mail:-gm@ecr.railnet.gov.in), महाप्रबंधक, उत्तर-सीमांत रेलवे, गुवाहाटी को (E-mail:-ceconnfr3@gmail.com) एवं महाप्रबंधक, उत्तर-पूर्व रेलवे, गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

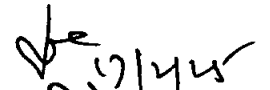

निदेशक,

मू-अर्जन, बिहार।

ज्ञापांक:-.....305/210

दिनांक:-.....12.02.2025

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


निदेशक,

मू-अर्जन, बिहार।

ज्ञापांक:-.....305/210

दिनांक:-.....12.02.2025

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

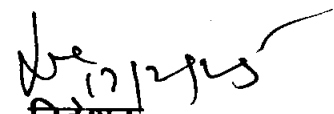

निदेशक,

मू-अर्जन, बिहार।

ज्ञापांक:-.....305/

दिनांक:-.....12.02.2025

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


निदेशक,

मू-अर्जन, बिहार।